न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2020/00045 दायर दिनांक 24.07.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

–सायल–

बनाम

लादूराम जाट पुत्र श्री इन्द्राज खीचड, मै0 लादूराम मावे वाला, ग्राम सुलखनिया बड़ा पो0 सुलखनिया छोटा (खीचडो की ढाणी) तहसील राजगढ जिला चूरू।

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

2. अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनियां, वास्ते गैरसायल।

निर्णय दिनांक 13.06.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाषित नोटिफिकेषन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेषक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेष दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेष की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.12.2019 को 01.10 पीए.एम. पर ग्राम सुलखनियां बडा पो0 सुलखानिया छोटा(खीचडों की ढाणी) पंहुचा। वहां पर लादुराम अपनी दुकान में एक डीप फ्रीजर में 20 लिटर गाय का दुध बेचने हेतु पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री लादुराम से पुछने पर बताया कि **गाय का दुध** ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण करने पर खाघ पदार्थ **गाय का दुध** में मिलावट की शंका होने पर **गाय का दुध** की 2 लिटर. साफ– सुखी स्टील के बर्तन में में वास्तें जांच नमना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री लादुराम को 58/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन जी एवं विक्रम सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री लादुराम को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदषुदा **गाय का दुध** को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलो को दिखाकर उक्त खरीदषुदा **गाय का दुध** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं कमांक एल–2347 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2347 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता और गवाह को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगषाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक–07 दिनांक 08.01.2020 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 3150 / एक्ट / 2019 / 2688 दिनांक 30.12.2019 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **गाय का दुध, सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2020 / 76 दिनांक 11.03.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में लादुराम ने **गाय का दुध सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनियां ने वकालतनामा पेश किया व दिनांक 04.08.2021 को जवाब पेश किया। दिनांक 02.05.2022 को खाध सुरक्षा अधिकारी के बयान व जिरह करवायी गयी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **गाय का दुध** का सेम्पल नं. एल–2347 रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 3150 / एक्ट / 2019 / 2688 दिनांक 30.12.2019 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व गैरसायल अधिवक्ता की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **गाय का दुध** की सेम्पल नं. एल–2347 रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 3150 / एक्ट / 2019 / 2688 दिनांक 30.12.2019 से **सबस्टैण्डर्ड** (It does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ **गाय का दुध** बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल लादूराम जाट पुत्र श्री इन्द्राज खीचड़, मै0 लादूराम मावे वाला, ग्राम सुलखनिया बडा पो0 सुलखनिया छोटा (खीचडो की ढाणी) तहसील राजगढ़ जिला चूरू को 2,00,000/– रूपये (दो लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। अभिहित अधिकारी चूरू मुख्यालय रतनगढ़ सीज माल का निस्तारण नियमानुसार करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

(लोकेश कुमार गौतम)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू